FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला मजिस्ट्रेट मुकाम नागौर

अपीलांट बनाम रेस्पोडेन्ट्स

बादरराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार निवासी टांकला तहसील नागौर जिला नागौर

कालूराम पुत्र जवानाराम जाति कुम्हार निवासी टांकला वगैराह

किस्म मुकदमा भरण पोषण अपील **संख्या...** 34 **सन्** 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
19.2.2018	अपीलांट ने न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा भरण पोषण प्रकरण संख्या 14/2016 बअनवान कालूराम वगैराह बनाम बादरराम वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2018 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट्स जरिये नोटिस तलब हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब होकर पत्रावली दिनाक 15-3-18 को पेश हो। जिला कलक्टर,नागौर	
15.3.18	अपीलान्ट अनु.। उपखण्ड मजि० नागौर ने अपने पत्रांक न्याय/2018/581 दिनांक 27.2.18 से भरण पोषण प्रकरण सं. 14/16 कालूराम बनाम बादरराम वगैरह की मूल पत्रावली भिजवाई है, जो इस पत्रावली के साथ नत्थी की गई। रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 16.4.18 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
16.4.18	अपीलान्ट अनु.। रेस्पोडेन्टगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 30.4.18 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
30.4.18	अपीलान्ट अनु.। श्रीमान P.O साहब आज प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 21.5.18 को पेश हो।	
21-5-18	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में अपीलान्ट बादरराम द्वारा दिनांक 18.05.2018 को अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया मेरे व मेरे पिता के बीच में राजीनामा हो गया है, वह मैं मेरे पिता के साथ ही रहता हूँ। मेरे पिता को मेरे से कोई शिकायत नहीं है। कालूराम की सेवा चाकरी करता हूँ। अब हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। अपीलान्ट व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
21-5-18 (लगातार)	बादरराम दोनों सहमत है। मैं अपील चलाना नहीं चाहता हूँ। मेरे पिता को अब कोई शिकायत नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र अपीलान्ट बादरराम व रेस्पोडेन्ट कालूराम द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी पहचान वकील श्री सुखराम देवड़ा द्वारा की गई है। अपीलान्ट का उक्त प्रार्थना पत्र शामिल मिसल है। आज अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कालूराम उपस्थित नही है। दिनांक 18.05.2018 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता राजकीय भ्रमण पर होने से यह प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आज पत्रावली पेशी पर ली गई। प्रकरण में अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के द्वारा कथन किया है कि वह इस अपील को चलाना नही चाहता है। उसके पिता को उससे कोई शिकायत नहीं है। अतः प्रार्थी की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे साथ अपील में वर्णित सभी पक्षकारान को आदेश की एक-एक प्रति निशुल्क भिजवाई जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (कुमार पाल गौतम) जिला कलक्टर नागौर	